

न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 13/20

वर्ष 2020

GCMS No- 2020/000066

बउनवानी:-

1. जनकराज पुत्र गोविन्दा जाति मीना निवासी डेहकवा,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. फूलचन्द पुत्र गिराज जाति मीना निवासी डेहकवा,तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

3. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना क्रियान्वयन, सवाईमाधोपुर, ए-45-46 तिरपति बिहार ब्लॉक ई छत्रपुरा बूंदी, हाल सवाईमाधोपुर

( प्रार्थना अन्तर्गत धारा 64 राईट टू फेयर कम्पेंशेन एण्ड ट्रांसपेरेन्सी इन लेण्ड एकज्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड डी सेटलमेंट एक्ट,2013 विरुद्ध नोटिस क्रमांक एनएच.148एन 2019/181 दिनांक 16.9.2019 ख0न0 2044 रकबा 0.1209 वाके ग्राम डेहकवा (अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर) भूमि अवाप्ति अधिकारी जिला सवाईमाधोपुर ),

उपस्थित:-1. श्री उमाशंकर शर्मा  
2. श्री दीपक शर्मा

वकील प्रार्थी  
वकील अप्रार्थी

:- निर्णय :-

दिनांक 14.07.2021

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 64 राईट टू फेयर कम्पेंशेन एण्ड ट्रांसपेरेन्सी इन लेण्ड एकज्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड डी सेटलमेंट एक्ट,2013 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रार्थी की भूमि एन.एच.148 के निर्माण हेतु अवाप्त किये जाने बाबत जारी नोटिस क्रमांक एनएच.148एन 2019/181 दिनांक 16.09.2019 विधि विरुद्ध व वास्तविक तथ्यों के विपरीत होने के कारण उक्त नोटिस को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना प्रस्तुत पत्र होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि विक्रय पत्र कल्पना बनाम प्रेमदेवी मे वर्णित बाजार दर के अनुसार उक्त आराजी ख0न0 2044 रकबा 0.1209है0 की कीमत करीब 67000/-रु प्रति ऐयर होने के हिसाब से कुल कीमत 804000 रु बनती है। यह तर्क भी दिया कि उक्त भूमि पर 63 अमरूद के वृक्ष लगभग 10 वर्ष पुराने है जिनका मुआवजा 879606/-रु होता है जबकि अवार्ड सूची में 36 वृक्ष दिखाये गये है जो गलत है। इसके अतिरिक्त एक वृक्ष नींबू का 5 वर्ष पुराना जिसका मुआवजा 18490/-रु बनता है तथा 6 वृक्ष नीम के 8 वर्ष पुराने है जिनका मुआवजा 60000/-रु होता है। जबकि अवार्ड सूची मे नींबू, नीम के वृक्ष नहीं दिखाये गये है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि प्रार्थी संख्या 1 की है तथा उस पर लगभग 10 वृक्ष प्रार्थी संख्या 2 फूलचन्द के है जिनका मुआवजा फूलचन्द को दे दिया जावे तो प्रार्थी को आपत्ति

.....(1).....

64.  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

नहीं है। उक्त संबंध में प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 7.7.2020 को श्रीमान सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर के सक्षम आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी किन्तु प्रार्थीगण की आपत्ति का निस्तारण नहीं किया गया और ना ही कोई कार्यवाही की गयी है। इस प्रकार प्रार्थीगण को 1762096/-अक्षरे सतरह लाख बासठ हजार छिनवे रूपये का अवार्ड पारित करवाने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिले में ए.एच.148एन के कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये अवाप्ति की कार्यवाही भूमि अवाप्ति हेतु अवाप्ति अधिकारी नियुक्त किया जाता है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को अधिसूचना जारी की गयी जिसके परिप्रेक्ष्य में जो आपत्तियों की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया गया। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाले भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमें अवाप्त भूमि की *किस्म चाही-3* दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूचित में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त की गयी भूमि पर स्थित भवन, वृक्षो व फसल आदि की धनराशि (Section 29 RFCTLARR act-2013) भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 की धरा-30 की उपधारा-1 के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिए सुसंगत क्षेत्र में किसी सक्षम इंजीनियर या ऐसे किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवा का उपयोग परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्र संख्या भाराराप्रा /पकाई/ सवाईमाधोपुर/83 दिनांक 30.1.2019 के क्रम में अर्जित भूमि पर स्थित भवन इत्यादि परिसम्पत्ति का मूल्यांकन/सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराकर रिपोर्ट अधीक्षण अभियंता सा0नि0वि0 सवाईमाधोपुर के पत्रांक 584 दिनांक 29.5.2019 द्वारा तथा अर्जित भूमि पर स्थित निजी वृक्षो का मूल्यांकन वन विभाग से करवाकर रिपोर्ट सहायक निदेशक उद्यान सवाईमाधोपुर के पत्र संख्या एडीएच/एसडब्ल्यू/2019/323 दिनांक 22.5.2019 द्वारा सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध करवायी जाने पर मुआवजा हेतु अवार्ड निधारण किया जाता है।

यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी को भूमि ख0न0 2044 रकबा 0.1209 किस्म चाही-3 के मुआवजा की गणना उप पंजीयक सवाईमाधोपुर से प्राप्त निर्धारित डी.एल.सी के आधार पर 448057/-रु प्रति है0 की गयी है तथा उक्त भूमि पर स्थापित 36 अमरुद के वृक्षो का


.....(2).....

मुआवजा सही दिया गया है। उक्त भूमि पर उक्त वृक्षों के अलावा अन्य कोई वृक्ष नहीं थे। यह भी तर्क दिया अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी उसमें अवाप्ति की गयी आराजी के हितबद्ध खातेदारों के नाम का उल्लेख किया जाता है जिसमें प्रार्थी फूलचन्द हितबद्ध होना अंकित नहीं है अर्थात् प्रार्थी फूलचन्द उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित अवाप्ति की गयी आराजी से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होने के कारण कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। तथा स्वामित्व का निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान के न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया।

वकील उभय पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रथम अनुतोष विक्रय पत्र कल्पना बनाम प्रेमदेवी में वर्णित भूमि ख0न0 3796 की बाजार दर के अनुसार उक्त आराजी ख0न0 2044 रकबा 0.1209 है0 का मुआवजा निर्धारित करने बाबत तथा द्वितीय अनुतोष 63 वृक्ष अमरूद के 10 वर्ष आयु के तथा एक वृक्ष नींबू का 5 वर्ष का एवं 6 वृक्ष नीम के 8 वर्ष पुराने बताये हुए उनका मुआवजा चाहा गया। तथा तृतीय अनुतोष उक्त भूमि पर स्थापित वृक्षों का मुआवजा प्रार्थी संख्या 2 फूलचन्द को दिलवाने बाबत चाहा गया है। किन्तु अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई युक्तिसंगत दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो सके कि ख0न0 3796 व 2044 समान प्रकृति है जिसके आधार पर प्रार्थीगण को उक्त विक्रय पत्र के समान मुआवजा दिलवाया जावे। तथा वृक्षों की संख्या व आयु नीम व नींबू होने के संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रार्थी के कथन की पुष्टि नहीं होती है। जहाँ तक वृक्षों का मुआवजा फूलचन्द को दिलवाये जाने के अनुतोष का प्रश्न है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध व्यक्ति के नाम ही मुआवजा का निर्धारण किया जाता है तथा स्वामित्व का निर्धारण इस न्यायालय के क्षेत्राकार में नहीं होने के कारण प्रार्थी के उक्त अनुतोष पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वकील प्रार्थी के कथन से न्यायालय सहमत नहीं है परन्तु वकील अप्रार्थी द्वारा किये गये कथन से न्यायालय पूर्णतया सहमत है। इस प्रकार प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र साक्ष्य दस्तावेजात के अभाव में निराधार प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.7.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

  
(राजेन्द्र किशन)  
जिला कलेक्टर  
सवाईमाधोपुर